अति आवश्यक / ईमेल / फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पाँचवां-तल, द्वितीय टॉवर, पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE, UP

5th Floor, 2nd Tower, Police Headquarters, Gomti Nagar Extension, Lucknow-226002

E-mail-igkarmik-up@nic.in

संख्या: डीजी-एक-39 (चि0प्रति0ऑ0ला0)/**2026** **दिनांक:** लखनऊः नवम्बर 25 **2026**

सेवा में,

1- **समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।**
2- **पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर/कानपुर नगर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।**
3- **मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 मे नियुक्त समस्त आई0पी0एस0 अधिकारीगण।**
4- **अपर पुलिस महानिदेशक, ए0सी0ओ0/सुरक्षा मुख्यालय/यूपी-112/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन-1090/ विशेष जांच / तकनीकी सेवायें/ यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।**
5- **अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ।**
6- **पुलिस महानिरीक्षक,आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) उ0प्र0 लखनऊ।**
7- **पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ ।**

विषयः प्रदेश के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्याःकल्याण-23- (चिकि0ऑ0ला0)-2026 दिनांकः 02-11-2026 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्याः 5-6099/93/2026- चिकित्सा अनुभाग-6, दिनांकः 01-10-2026, के साथ शासनादेश संख्याः220 /2026आई0/1456607/ 2026-05-6099/93/2026-6, दिनांकः 09-09-2026 एवं शासनादेश संख्याः227/2026/आई0/1469413/2026-5-6099/93/2026-6, दिनांकः 18-09-2026, ई0 फाइल शासन के पत्र संख्याः 5-6099/493/2026-चिकित्सा अनुभाग-6-Medical and Health Department दिनांकः 13.11 .2026 (मय अनुलग्नकों सहित छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त के अनुक्रम में सेवारत/सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों के ऑनलाइन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल, समयबद्ध मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल **(https://janhit. dgmhup.in/)** को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए नवीन व्यवस्था के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे वर्तमान में विकसित मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांकः 01.10.2026 से आवेदित किया जायेगा एवं कोई भी चिकित्सा दावा भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। सेवारत आई0पी0एस0 अधिकारीगण अपना चिकित्सा दावा ऑनलाइन करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी मय संलग्न सहित अपना मूल दावा इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3- चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र दिनांकित: 09.09.2026/13.11.2026 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्थानुसार सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) को अपने चिकित्सा दावा भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे जिन पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हेतु Manually/भौतिक रूप से फॉरवर्डिंग लेटर आवेदक को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा अपना चिकित्सा दावा ऑनलाइन करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी मय संलग्न सहित अपना मूल दावा इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

4- अतः उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ एवं चिकित्सा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त पत्र में निहित नवीन व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश के सेवारत/सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 अधिकारियों, जिनके चिकित्सा दावों का निस्तारण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जाता है, उन सभी अधिकारीगण द्वारा अपने चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों को कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की आईडी **EHRMS CODE: 2040585** पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।

5- कृपया चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों को उपरोक्तानुसार ऑनलाइन प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

25/11/2026

(के0 एस0 इमैन्युअल)
पुलिस महानिरीक्षक/
पुलिस महानिदेशक के जीएसओ/कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः सचिव, उत्तर प्रदेश पुलिस पेन्शनर कल्याण संस्थान, टावर-1 भूतल, पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमती नगर विस्तार, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवश्यक / महत्वपूर्ण / ई-मेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ।

संख्याः कल्याण–23–(चिकि0 ऑ0ला0)–2026 दिनांक. नवम्बर 02 ,2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश (पुलिस विभाग)

विषयः प्रदेश के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियो के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

———

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 5–6099 / 93 / 2026–चिकित्सा अनुभाग–6, दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये है।

2– प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 के साथ संलग्न "शासनादेश संख्याः 220 / 2026 / आई0 / 1456607 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6, दिनांक 09–09–2026 एवं शासनादेश संख्याः 227 / 2026 / आई0 / 1469413 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6, दिनांक 18–09–2026 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि:–

"प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत् / सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रकिया को डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए नवीन व्यवस्था के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रकिया को ऑनलाइन किया गया है। दिनांक 01–10–2026 के उपरान्त प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त / सेवारत् कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे वर्तमान में विकसित चिकित्सा पोर्टल पर ही आवेदित किये जाने एवं कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जायेगा, के निर्देश भी निर्गत किये गये है।"

3– उल्लेखनीय है कि उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया गया है कि:–

(1) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के निस्तारण की ऑनलाइन प्रकिया सुनिश्चित किये जाने हेतु नवीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रणाली विकसित की गयी है जिसके उपयोग किये जाने हेतु विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) निर्गत की गयी है।

(2) शासनादेश दिनांक 09–09–2026 में निहित व्यवस्था के अनुसार सेवारत् एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष कार्यालयाध्यक्ष (रिर्पोटिंग अधिकारी) द्वारा दावे पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिन के अन्दर फॉरवर्डिंग लेटर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा भौतिक रूप से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त फॉरवर्डिंग लेटर आवेदक द्वारा स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(3) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर संतोषजनक एवं हस्ताक्षरित फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त होने के उपरान्त दावे का निस्तारण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी प्रपत्रों को चेक करते हुए संस्तुत धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4– उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 244 / 2026 / आई0 / 1489188 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6, दिनांक 08 अक्टूबर, 2026 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावो को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है कि:–

(1) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्त मदों के सापेक्ष कुल अनुमन्य धनराशि का आटो जनेरेटेड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फारवर्ड किया जायेगा।

(2) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या नियमावली के नियम–20 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रूपये 2.00 लाख तक के दावे के भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर की जायेगी तथा रूपये 2.00 लाख से अधिक के दावे को अग्रिम कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को विकसित चिकित्सा पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

(3) विभागाध्यक्ष द्वारा रूपये 2.00 लाख से अधिक तथा रूपय 5.00 लाख तक के दाव क भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर पूर्ण की जायेगी तथा रूपय 5.00 लाख से उपर क समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अग्रेतर कार्यवाही हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रेषित किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा रूपये 10.00 लाख तक के दावों के भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों क अन्दर तथा रूपये 10.00 लाख से उपर के दावों के चिकित्सा अनुभाग–6 एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर 30 दिनों के अन्दर भुगतान की कार्यवाही हेतु ऑनलाइन ही विभागाध्यक्ष को वापस प्रेषित किया जायेगा।

5– अतएव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 09.09.2026, 18.09.2026, 01.10.2026 एवं 08.10.2026 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया ***"प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन"*** प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित को समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोवत्।

(डॉ0 संजीव गुप्ता) 27/11/26
अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–6, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफिसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशासन/कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।

———

(3)

संख्या-244 /2026/आई0/1489188/2026-5-6099/93/2026-6

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।
(5) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2026

विषय:- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-220/2026/आई0/1456607/2026-5-6099/93/2026-6 दिनांक 09-09-2026 तथा शासनादेश संख्या-227/2026/आई0/1469413/2026-5-6099/93/2026-6 दिनांक 18-09-2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल, समयबद्व, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उददेश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए नवीन व्यवस्था के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किये जाने तथा दिनांक 01-10-2026 के उपरान्त प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे वर्तमान में विकसित चिकित्सा पोर्टल पर ही आवेदित किये जाने एवं कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 09-09-2026 में निहित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के सेवारत एवं सेवानिवृत सरकारी सेवक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष कार्यालयाध्यक्ष (रिर्पोटिंग अधिकारी) द्वारा दावे पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिन के अन्दर फॉरवर्डिंग पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा भौतिक रूप से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त फॉरवर्डिंग लेटर आवेदक द्वारा स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर संतोषजनक एवं हस्ताक्षरित फारॅवर्डिंग लेटर प्राप्त होने के उपरान्त दावे का निस्तारण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

3- उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के तकनीकी परीक्षणोपरान्त प्राप्त आनलाइन दावे को अग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष एवं शासन को भेजने की प्रक्रिया भी इसी पोर्टल पर पूर्णतया ऑनलाइन की गयी है। अतः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा समस्त मदों के सापेक्ष कुल अनुमन्य धनराशि का आटो जनेरेटेड सार्टिफिकेट डाउनलोड कर प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फारवर्ड किया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या नियमावली के नियम-20 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रूपये 2.00 लाख तक के दावे के भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर की जायेगी तथा रूपये 2.00 लाख से अधिक के दावे को अग्रिम कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष को विकसित चिकित्सा पोर्टल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

विभागाध्यक्ष द्वारा रूपये 2.00 लाख से अधिक तथा रूपये 5.00 लाख तक के दावे के भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर पूर्ण की जायेगी तथा रूपये 5.00 लाख से ऊपर के समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अग्रेतर कार्यवाही हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शासन के सम्बन्धित अनुभागों को प्रेषित किया जायेगा। शासन द्वारा रूपये 10.00 लाख तक के दावों के भुगतान की कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर तथा रूपये 10.00 लाख से ऊपर के दावों में चिकित्सा अनुभाग-6 एवं वित्त विभाग का परामर्श

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

प्राप्त कर 30 दिनों के अन्दर भुगतान की कार्यवाही हेतु ऑनलाइन ही विभागाध्यक्ष को वापस प्रेषित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 09-09-2026 में निहित व्यवस्था एवं उपरोक्तानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण पूर्णतया ऑनलाइन किया जाए। दिनांक 01-10-2026 के उपरान्त कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार न किया जाए तथा समस्त दावे ऑनलाइन ही स्वीकार किये जाए एवं निहित व्यवस्था के अनुसार समयान्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

भवदीया,
वी0हेकाली झिमोमी
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
2. समस्त निजी सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
3. उप सचिव/अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग-1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एवं 10, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
विशेष सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http shasanadesh up nic in से सत्यापित की जा सकती है।

(6)

संख्या–251 / 2026 / आई0 / 1496026 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : **16 अक्टूबर, 2026**

विषयः– प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–220 / 2026 / आई0 / 1456607 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 09–9–2026 तथा संख्या–227 / 2026 / आई0 / 1469413 / 2026–5–6099 / 93 / 2026–6 दिनांक 18–09–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत / सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उददेश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए **दिनांक 01–10–2026** के उपरान्त समस्त दावे विकसित चिकित्सा पोर्टल पर ही आवेदित किये जाने तथा कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– उक्त के क्रम में यह असंमजस की स्थिति है कि विभिन्न विभागों के स्तर पर दिनांक 30–09–2026 तक भौतिक रूप से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को तकनीकी परीक्षण हेतु तकनीकी परीक्षण अधिकारी को किस मोड में संदर्भित किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों में दिनांक 30–09–2026 तक भौतिक रूप से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को भौतिक रूप से ही पूर्व की भांति तकनीकी परीक्षण हेतु संदर्भित किया जाए तथा तकनीकी परीक्षणकर्ता द्वारा भी उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण भौतिक रूप से करते हुए सम्बन्धित विभाग को वापस किया जाए। तदोपरान्त विभाग द्वारा पूर्व की भांति प्रश्नगत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त समस्त कार्यवाही **दिनांक 31–10–2026** तक पूर्ण कर ली जाए।

भवदीया
रितु माहेश्वरी
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल / विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
5– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रितु माहेश्वरी
सचिव।

ajay sir2026 go

3284

DIG/H/10

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ। 03.10.2026

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2026

विषयः– प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–220/2026/आई0/1456607/2026–5–6099/93/2026–6 दिनांक 09–9–2026 तथा शासनादेश संख्या–227/2026/आई0/1469413/2026–5–6099/93/2026–6 दिनांक 18–09–2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रकिया को डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उददेश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) को मानव सम्पदा पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुए नवीन व्यवस्था के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रकिया को ऑनलाइन किया गया है। दिनांक 01–10–2026 के उपरान्त प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त /सेवारत कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे वर्तमान में विकसित चिकित्सा पोर्टल पर ही आवेदित किये जाने एवं कोई भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जायेगा, के निर्देश भी निर्गत किये गये है।

2– इसी कम में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के निस्तारण की ऑनलाइन प्रकिया सुनिश्चित किये जाने हेतु नवीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रणाली विकसित की गयी है जिसके उपयोग किये जाने हेतु विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) निर्गत की गयी है तथा समस्त जनपदों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा दिनांक 21–09–2026 से दिनांक 30–09–2026 तक तथा दिनांक 05–10–2026 से 09–10–2026 तक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

3– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 09–09–2026 में निहित व्यवस्था के अनुसार सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष कार्यालयाध्यक्ष (रिर्पोटिंग अधिकारी) द्वारा दावे पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिन के अन्दर फॉरवर्डिंग लेटर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा भौतिक रूप से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्त फॉरवर्डिंग लेटर आवेदक द्वारा स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर संतोषजनक एवं हस्ताक्षरित फारॅवर्डिंग लेटर प्राप्त होने के उपरान्त दावे का निस्तारण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा, जिसके उपरान्त सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी प्रपत्रों को चेक करते हुए संस्तुत धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,
Digitally signed by V HEKALI ZHIMOMI
Date: 30-09-2026 19:30:08
(वी0हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

ajay slr2026 go

पुलिस उपमहानिरीक्षक, भवन /कल्
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
लखनऊ।
05-10-26

(B)

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-220/2026/आई0/1456607/2026-5-6099/93/2026-6

प्रेषक,

अमित कुमार घोष,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक : 09 सितम्बर, 2026**

विषयः– प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की निस्तारण प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के क्रम में प्रदेश सरकार के समस्त सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित दावों/बिल की धनराशि की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ अथवा एम्स, नई दिल्ली द्वारा मान्य दरों से तुलना का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों/तकनीकी परीक्षण अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से सम्पन्न किया जाता है, जिससे कतिपय स्तरों पर विसंगतियॉ परिलक्षित होती हैं तथा दावों के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2– उक्त के दृष्टिगत प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया को डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) को मानव संपदा पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, जिस पर नवीन व्यवस्था के अनुरूप बिल/दावा आनॅलाइन किया जायेगा। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से उपरोक्त स्थितियों का निराकरण सम्भव हो पाएगा। जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे संबंधित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारियों को जनहित स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से सीधी उपलब्धता होगी तथा पेपर बेस्ड पत्राचार की आवश्यकता नहीं होगी।

3– चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान से सम्बन्धित संशोधित प्रक्रिया निम्नवत हैः–

(क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण की प्रक्रिया के चरणः–

I. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) पर आवेदन किया जाना।

II. आवेदन के सापेक्ष संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा संस्तुति पत्र (फॉरवर्डिंग लेटर) उपलब्ध कराया जाना (अधिकतम समयावधि 15 कार्यदिवस)।

III. पोर्टल पर आवेदन किए गए दावे की एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ अथवा एम्स, नई दिल्ली द्वारा मान्य दरों से तुलना करते हुए पोर्टल द्वारा देय धनराशि का स्वतः निर्धारण।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10)

IV. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देय धनराशि की संस्तुति संबंधित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना (बिन्दु संख्या–3 एवं 4 हेतु कुल अधिकतम समयावधि–30 कार्यदिवस)।

V. निर्धारित धनराशि का सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान।

अतः प्रस्तुत दावे में कोई अपूर्णता अथवा त्रुटि न होने की स्थिति में दावे की प्रस्तुति के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि की संस्तुति सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने तक की कुल समयावधि–45 कार्यदिवस।

(ख) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण की प्रक्रिया का चरणबद्ध विवरणः–

1. आवेदक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु आवेदन किया जाना–

1.1. चिकित्सा प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आवेदक को अपने विभाग को उपचार के विषय में सूचना दे देनी चाहिए तथा चिकित्सा समाप्त होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) पर सिटीजन लॉगिन (citizen login) प्रदर्शित होगा जिस पर क्लीक (click) करने के पश्चात लॉगिन पेज (login page) खुलेगा। लॉगिन पेज (login page) पर यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड आवेदक द्वारा बनाया जायेगा। इसी यूजर आई0डी0/पासवर्ड से लॉगिन करके पोर्टल के सिटीजन डैशबोर्ड पर जाकर पेमेन्ट आफ मेडिकल रिम्बर्समेंट (Payment of Medical Reimbursement) का चयन करके प्रतिपूर्ति का दावा आनॅलाईन प्रस्तुत किया जाना होगा।

1.2. प्रतिपूर्ति आवेदन से पूर्व सभी कर्मचारी मानव संपदा में अपने लॉगिन से लीव रिर्पोटिंग की भांति चिकित्सा आपूर्ति रिर्पोटिंग अधिकारी अपडेट करेगें।

1.3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र को मानव सम्पदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। अतः आवेदक आनॅलाईन आवेदन करते समय मानव सम्पदा के ई0एच0आर0एम0एस0 कोड का प्रयोग करेगें जिससे मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध डेटा स्वतः आवेदन पत्र पर प्रदर्शित हो जायेगा, जिससे आवेदक के समस्त आवश्यक व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी विवरण मानव सम्पदा पोर्टल से ए0पी0आई0लिंकेज के द्वारा जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर स्वतः उपलब्ध हो जाएंगें। सामान्यतः यह प्रक्रिया समस्त आवेदकों द्वारा ई0एच0आर0एम0एस0 कोड का उल्लेख करते हुए ही पूर्ण की जानी चाहिए।

1.4. ई0एच0आर0एम0एस0 कोड के उपलब्ध न होने अथवा अक्रियाशील की स्थिति में जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर सभी प्रकार की प्रविष्टियॉ संबंधित आवेदक द्वारा स्वयं ही भरी जायेगी।

1.5. रूपये 50,000/– से न्यून धनराशि के दावे आवेदक के तैनाती जनपद के जनपद स्तरीय/विशिष्ट चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अग्रसारित किये जायेगें। सम्बन्धित जनपद के समस्त अधिकृत चिकित्सालयों की सूची ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध होगी जिसमें से आवेदक द्वारा सुविधानुसार चयन किया जायेगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1.6. रूपया 50,000/– एवं इससे अधिक धनराशि के दावे आवेदक के तैनाती जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अग्रसारित किये जायेगें।

1.7. आवेदक द्वारा अपने चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख/बीजक भी पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें:–

1.7.1. आश्रित हेतु परिशिष्ट–क का प्रमाण पत्र तथा आश्रित शपथ–पत्र (आश्रित पुत्र का मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता के आधार पर दावा प्रस्तुत करने की स्थिति में स्थायी निःशक्तता प्रमाण–पत्र)।

1.7.2. चिकित्सा अग्रिम लिये जाने की स्थिति में चिकित्सा अग्रिम स्वीकृति आदेश की प्रति।

1.7.3. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा उपचार पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यालयाध्यक्ष को परिशिष्ट–ग के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र।

1.7.4. ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 में करायी गयी चिकित्सा हेतु क्रमशः प्रपत्र–ए एवं बी जो चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो एवं उपचारी चिकित्सक द्वारा विधिवत सत्यापित किये गये बाउचर्स।

1.7.5. चिकित्सा प्रारम्भ होने के दिनांक से 30 दिनों के अन्दर दी गयी सूचना की प्रति।

1.7.6. अपरिहार्यता /आपात स्थिति का प्रमाण पत्र (चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)।

1.7.7. वाह्य रोगी के रूप में उपचार की स्थिति में चिकित्सक का प्रेस्क्रिप्शन।

1.7.8. अन्तःरोगी के रूप में उपचार की स्थिति में डिस्चार्ज समरी जिस पर डिस्चार्ज तिथि का उल्लेख हो।

1.7.9. रोगी की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण–पत्र।

1.7.10 सम्बन्धित चिकित्सालय जहॉ उपचार कराया गया है, द्वारा प्रदत्त बिन्दु संख्या–1.8 के अनुसार मदवार व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर अंकित किया जायेगा।

नोट(1):–अग्रिम के लिये आवेदन परिशिष्ट–"ख" में दिये गये विहित प्रारूप पर कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ उपचारी चिकित्सक द्वारा निर्गत तथा संस्था के प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्राक्कलन मूल रूप में संलग्न किया जायेगा।

(2) ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 में करायी गयी चिकित्सा के बिल बाउचर्स मूल रूप में कार्यालयाध्यक्ष को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) सभी प्रकार के प्रमाण–पत्र का प्रारूप जनहित स्वास्थ्य पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

1.8. आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि को निम्न दस अलग–अलग मदों के अनुसार पोर्टल पर अंकित करते हुए मदवार बिल पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें:–

1.8.1. Administrative charges.
1.8.2. Room charges.
1.8.3. Surgery charges.
1.8.4. Dialysis charges.
1.8.5. Oncotherapy charges.
1.8.6. Physiotherapy charges.
1.8.7. Diagnostics charges.

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1.8.8. Medicine charges.
1.8.9. Implant charges.
1.8.10 Miscellaneous charges.

1.9. किसी आवेदक द्वारा समस्त धनराशि को किसी एक ही मद में अंकित कर दिये जाने अथवा गलत मद में अंकित कर दिये जाने की स्थिति में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यालय से निस्तारण से पूर्व धनराशि को बिल के सापेक्ष सही मद में योजित किये जाने का प्रावधान भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है।

2. कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) के स्तर पर अपेक्षित गतिविधियाँ:–

किसी भी विभाग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष आवेदक के सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा दावे पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिन के अन्दर फॉरवर्डिंग लेटर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि आवेदक ने कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) से Manually /भौतिक रूप से फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त किया है, तो आवेदक द्वारा इसे स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा इस हेतु निम्नवत प्रक्रिया अपनाई जायेगी:–

2.1. आवेदक द्वारा ई0एच0आर0एम0एस0 कोड का प्रयोग करते हुए जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर दावा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में–

2.1.1. जनहित स्वास्थ्य पोर्टल के द्वारा ए0पी0आई0 लिंकेज के माध्यम से आवेदक के मानव सम्पदा पर मैप्ड कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) के पास सूचना स्वतः प्रेषित (autoforward) हो जायेगी।

2.1.2. विभिन्न विभागों के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) को अपने ई0एच0आर0एम0एस0 कोड के माध्यम से मानव सम्पदा पोर्टल पर लॉगइन करने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आवेदन–पत्र तथा आवेदक द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति पोर्टल पर भरे गये ऑनलाइन फॉर्म की प्रति (अपलोड किये गये समस्त प्रारूपों/परिशिष्टों के साथ) प्रदर्शित होंगे जिनका परीक्षण करने के उपरान्त उनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

2.1.3. उक्त अधिकारी के द्वारा जनहित स्वास्थ्य पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये गये डाउनलोड लिंक का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के आवश्यक विवरण का अवलोकन मानव सम्पदा पोर्टल पर करने की सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही अन्य लिंक के माध्यम से आटोजनरेटेड प्रीफिल्ड फॉरवॉर्डिंग लेटर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

2.1.4. चिकित्सा समाप्त होने के दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन किया जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में विलम्बमर्षण के उपरान्त ही कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा फॉरवर्डिंग लेटर अपलोड किया जायेगा। विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन पोर्टल द्वारा चिन्हित कर विभागीय कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) को प्रदर्शित करने हेतु पोर्टल पर व्यवस्था की गई है।

2.1.5. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावे को कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है तथा दोनों ही परिस्थितियों में सहमति अथवा

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

असहमति के साथ हस्ताक्षरित फॉरवर्डिंग लेटर मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु अधिकतम समय सीमा 15 दिवस की है। असहमति की स्थिति में असहमति के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

2.1.6. ए0पी0आई0 लिंकेज के माध्यम से कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा अपलोड किया गया फॉरवर्डिंग लेटर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के निस्तारण हेतु जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग को स्वतः उपलब्ध हो जायेगा।

2.2. आवेदक द्वारा जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करते समय ई0एच0आर0एम0एस0 कोड का उल्लेख न करने की स्थिति में।

2.2.1. आवेदक द्वारा अपने विभागीय कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) के द्वारा हस्ताक्षरित फॉरवर्डिंग लेटर स्वयं प्राप्त कर जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर 15 दिन के भीतर अपलोड किया जायेगा।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का दायित्वः–

3. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आवेदन किये गये दावे की एस0जी0पी0जी0आई/एम्स की दरों से तुलना करते हुए 30 दिवसों में देय धनराशि के निर्धारण हेतु प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

3.1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर संतोषजनक एवं हस्ताक्षरित फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त होने के उपरान्त दावे का निस्तारण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर करना होगा।

3.2. एस0जी0पी0जी0आई0/एम्स की दरों को जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर बिन्दुवार बैकऐंड से अपलोड किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के संबंधित अधिकारी प्रस्तुत बिल की मदवार क्लेम की गयी धनराशि का अवलोकन जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर ही करेंगे।

3.3. किसी आवेदक द्वारा समस्त धनराशि को किसी एक ही मद में अंकित कर दिये जाने अथवा गलत मद में अंकित कर दिये जाने की स्थिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित कार्यालय से निस्तारण करने से पूर्व धनराशि को बिल के सापेक्ष सही मद में योजित किये जाने के प्रावधान का प्रयोग कर सही मद में अंकन किया जायेगा।

3.4. इसके उपरान्त पोर्टल के द्वारा स्वतः देय धनराशि का आंकलन किया जायेगा।

3.5. यदि क्लेम की गयी धनराशि एस0जी0पी0जी0आई/एम्स की दर से कम है तो सम्पूर्ण धनराशि देय प्रदर्शित होगी। यदि क्लेम की गयी धनराशि एस0जी0पी0जी0आई/एम्स की दर से अधिक है तो एस0जी0पी0जी0आई0/एम्स की दर के अनुसार देय धनराशि स्वतः ही पोर्टल पर प्रदर्शित हो जायेगी। यदि इस दर से कम धनराशि अनुमन्य की जा रही है तो उसका औचित्य भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

3.6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय स्तर से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को स्वीकार, आंशिक स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। आंशिक स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की स्थिति में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.7. समस्त मदों के सापेक्ष कुल अनुमन्य धनराशि का योग पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस कुल अनुमन्य देय धनराशि का आटोजनरेटेड सार्टिफिकेट (प्रारूप–3) डाउनलोड कर प्रतिहस्ताक्षरित कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा, जो सम्बन्धित विभागीय जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रदर्शित होगा।

3.8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/तकनीकी परीक्षण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का परीक्षण कर क्रमशः आटोजनरेटेड प्रारूप–1 (प्रदेश के अन्दर करायी गयी चिकित्सा हेतु) अथवा आटोजनरेटेड प्रारूप–2 (प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा हेतु) पर प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र–ए (बिना भर्ती होकर किये गये उपचार हेतु) अथवा प्रपत्र–बी (भर्ती होकर किये गये उपचार हेतु) पर दावे के तकनीकी परीक्षणोपरान्त अनुमन्य धनराशि शब्दों एवं अंकों में अंकित कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा, जो सम्बन्धित विभागीय जनपदीय नोडल अधिकारी को प्रदर्शित होगा।

3.9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर संतोषजनक फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त होने के उपरान्त उल्लिखित गतिविधियों को पूर्ण कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 30 दिनों की अवधि में दावे का निस्तारण किया जायेगा।

3.10 किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किया गया चिकित्सकीय दावा मान्य नहीं होगा।

4. निर्धारित धनराशि का सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतानः–

4.1. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित धनराशि का प्रारूप–1 (प्रदेश के अन्दर करायी गयी चिकित्सा हेतु) अथवा प्रारूप–2 (प्रदेश के बाहर करायी गयी चिकित्सा हेतु) पर प्रमाण पत्र तथा प्रपत्र–ए (बिना भर्ती होकर किये गये उपचार हेतु) अथवा प्रपत्र–बी (भर्ती होकर किये गये उपचार हेतु), देय/अदेय धनराशि का सार्टिफिकेट (प्रारूप–3) पोर्टल पर अपलोड करने के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर से समस्त गतिविधियॉ पूर्ण हो जायेगी तथा सम्बन्धित प्रपत्रों को चेक करते हुए संस्तुत धनराशि के नियमानुसार भुगतान का उत्तरदायित्व आवेदक के विभाग का होगा।

5. उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रकिया को पूर्णतः ऑनलाइन तथा सुगम बनाने हेतु सभी प्रशासकीय विभाग निम्नवत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें:–

5.1. समस्त कर्मियों के सेवा अभिलेखों को मानव सम्पदा पोर्टल पर अद्यतन/त्रुटिरहित किया जाये।

5.2. सेवा अभिलेखों में आश्रितों की सूची को समय–समय पर अद्यतन किया जाये।

5.3. समस्त कर्मियों को उनके सही ई0एच0आर0एम0एस0 कोड उपलब्ध करा दिये जाये।

5.4. मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों की सूची एवं कर्मियों की तैनाती एवं वेतन बैण्ड से सम्बन्धित सभी जानकारियों को निरन्तर अद्यतन रखा जाये।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(15)

5.5. स्वास्थ्य विभाग तथा एन0आई0सी0 के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की ऑन लाइन प्रक्रिया हेतु आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की शत–प्रतिशत प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाये।

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगाः–

6.1. प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अद्यतन स्थिति का अवलोकन करने हेतु समस्त विभागों के लिए डैशबोर्ड की व्यवस्था चिकित्सा विभाग के द्वारा जनहित स्वास्थ्य पोर्टल पर की जायेगी।

6.2. एन0आई0सी0 के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु समस्त जनपदों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित कराये जाएं।

6.3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया के त्रुटि रहित संचालन हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर काल सेंटर की व्यवस्था की जायेगी।

7. <u>एन0आई0सी0 से अपेक्षाः–</u>

7.1. प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के सापेक्ष विभागीय कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा फॉरवर्डिंग लेटर मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अद्यतन स्थिति का अवलोकन करने हेतु समस्त विभागों के लिए डैशबोर्ड की व्यवस्था एन0आई0सी0 के द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर की जायेगी। मानव सम्पदा पोर्टल पर किसी परिवर्तन की स्थिति में तदनुसार डैशबोर्ड पर आवश्यक परिवर्तन एन0आई0सी0 द्वारा किया जायेगा।

7.2. मानव सम्पदा पोर्टल पर किसी भी ऐसे परिवर्तन की स्थिति में जिसका प्रभाव चिकित्सा प्रतिपूर्ति की उपरोक्त प्रक्रिया पर पड़ता हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ससमय एन0आई0सी0 द्वारा सूचित किया जायेगा। तदनुसार आवश्यक परिवर्तन एन0आई0सी0 द्वारा किया जायेगा।

7.3. प्रशिक्षण का कार्य जनहित पोर्टल डेवलपमेंट टीम द्वारा किया जायेगा। इसमें मानव सम्पदा से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग NIC द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण का कार्य सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा NIC के सहयोग से 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय, जिससे चिकित्सा पोर्टल का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के अन्दर प्रदेश के समस्त सरकारी कर्मियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की समस्त प्रकिया को ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
अमित कुमार घोष
अपर मुख्य सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(16)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
2– स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
3– महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवि रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

वी0हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक :13 नवम्बर, 2026

विषयः–प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की निस्तारण प्रकिया का सरलीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–220/2026/आई0/1456607/2026–5–6099/93/2026–6 दिनांक 09–09–2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के सरकारी सेवकों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रकिया को डिजिटल, समयबद्ध, मानकीकृत एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जनहित स्वास्थ्य पोर्टल (https://janhit.dgmhup.in/) को मानव संपदा पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया है, जिस पर नवीन व्यवस्था के अनुरूप बिल/दावा आनॅलाइन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कम में किसी भी विभाग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के सापेक्ष आवेदक के सेवा के विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा दावे पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु 15 दिन के अन्दर फॉरवर्डिंग लेटर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि आवेदक ने कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) से Manually /भौतिक रूप से फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त किया है, तो आवेदक द्वारा इसे स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

2– उक्त के कम में नवीन विकसित चिकित्सा पोर्टल में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण किये जाने हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में उ0प्र0 के पेंशनर संगठनों के साथ दिनांक 18–10–2026 एवं 13–11–2026 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में पेंशनरों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि समस्त विभागों के अधिकांश सेवानिवृत्त कार्मिक (पेंशनरों) मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है जिसके कारण ई0एच0आर0एम0एस0 कोड आंवटित नहीं हुआ है, जिन सेवानिवृत्त कार्मिक (पेंशनरों) को ई0एच0आर0एम0एस0 कोड आंवटित नहीं है, उन्हें शासनादेश दिनांक 09–09–2026 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) से Manually /भौतिक रूप से फॉरवर्डिंग लेटर प्राप्त कर स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया जाना है, किन्तु कतिपय विभागों द्वारा उक्त फारवर्डिंग लेटर ससमय आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिससे पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को अपलोड करने में समस्या आ रही है।

Scanned with CamSc

(18)

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 09-09-2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (रिपोर्टिंग अधिकारी) द्वारा भौतिक रूप से प्रस्तुत किये गये दावे पर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हेतु Manually /भौतिक रूप से फॉरवर्डिंग लेटर आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(वी0हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ0प्र0।
2— स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
3— महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
4— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
5— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6— उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
7— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamSc

(19)

प्रेषक

वी0हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2026

चिकित्सा अनुभाग–6

विषयः– प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा को प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, सेण्टर फार ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 के पत्र संख्या–CeG/P/9/15/659/26 दिनांक 13–11–2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जनसेवा केन्द्र संचालक (वी0एल0ई0) द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवीन विकसित चिकित्सा पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रकियानुसार कार्यवाही करते हुए सेवा प्रदान की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा विकसित चिकित्सा पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रकियानुसार कार्यवाही जन सेवा केन्द्रों पर निर्धारित यूजर चार्जेज रूपये 30/– से प्राप्त कर प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

Digitally signed by VHEKALI ZHIMOMI

(वी0हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की उपरोक्त सेवा का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करते हुए प्रदेश के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को उक्त सेवा जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
सयुक्त सचिव।

ajay sir2026 go

Scanned with CamScanner

CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रोन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
फोन/फैक्स : 0522-2304700, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg-ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref No:- CeG/P/9/15/657/26
Date :- 13/11/2026

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, उ0प्र0।

2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2022/1313/78-2-2022-ई-268634 दिनांक 17.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इंटरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। तत्क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 28.10.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय यह है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 54 विभागों की 363 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं:-

विभाग	सेवा का नाम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	Registration of Medical Establishment
	Issuance of Medical Illness Certificate
	Issuance of Medical Fitness Certificates
	Issuance of Disability Certificate
	Issuance of Immunization Certificate
	Issuance of Death Certificate
	Payment for Unsuccessful Family Planning
	Payment of Medical Reimbursement

Scanned with CamSc

	Issuance of Medico- Legal Certificate
	Issuance of Age Certificate
	Issuance of Immunization Certificate for Children

4- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त सन्दर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही विभागीय पोर्टल के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

6- उपरोक्त सेवायें आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 19/2020/1085/78-2-2020-34 आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित यूजर चार्जेज की शुल्क धनराशि रू0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जो कि विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
1	विभाग की सेवा	डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
		15	03	10	02	30

उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
Digitally signed by AKANKSHA RANA
Date: 12-11-2026 19:34:20
(आकांक्षा राना)
राज्य समन्वयक

संलग्नक-यथोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. श्री अशोक मौर्य, सीनियर डायरेक्टर(आई.टी.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सेवा को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्रदर्शित करायें।
6. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
7. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamSc